न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/2016–जिला उमरिया

रामखिलावन साहू पुत्र श्री बाबूलाल साहू निवासी–ग्राम कोयलारी थाना/तहसील चँदिया जिला–उमरिया .....निगरानीकर्ता

बनाम

रामचरन पुत्र श्री बाबूलाल साहू निवासी–ग्राम कोयलारी थाना/तहसील चँदिया जिला–उमरिया .....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन–पत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसील न्यायालय चँदिया जिला–उमरिया के प्रकरण क्रमांक–37/अ–3/15–16 आदेश दिनांक 30.07.2016 को पारित जिसकी आगामी पेशी दिनांक 13.09.2016 नियत है ।

निगरानी के आधार

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किए बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

3– यह कि, अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अक्स तर्मीम सुधार हेतु एक आवेदन–पत्र दिनांक 12.07.2016 को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया उस आवेदन–पत्र के अनुसार तहसील न्यायालय के आदेश के अनुसार क्षेत्र के आर0आई0 पटवारी मौका मुआयना के लिए दिनांक 12.07.2016 को मौके पर उपस्थित होकर खेत के मेड़िया कृषक के यह कहकर हस्ताक्षर कराए कि तुम्हारे खेत का सीमांकन हो रहा है (मुन्नीलाल कुशवाह, मौलेराम साहू, रामदीन साहू) और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए । जबकि रिकार्ड में इन्होंने दिनांक 11.07.2016 डाली जो कि अवैधानिक होने से इन आर0आई0 पटवारी की गलत मनःस्थिति एवं दुर्भावना परिलक्षित होने से इनकी रिपोर्ट पर जो कार्यवाही की गई ऐसी कार्यवाही के आधार पर जो आदेश पारित किया है वह अनुचित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—3122—दो / 2016 जिला—उमरिया

रामखिलावन साहू विरूद्ध रामचरन साहू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20—02—2019	आवेदक की ओर से श्री कुवंर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय चँदिया, जिला—उमरिया के प्र. क्र. 37 / अ—3 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 30—07—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019	